International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA)
Multidisciplinary Peer-Reviewed Online Open Access Journal Impact Factor: 5.455
Volume 3, Issue 1, Jan-Mar 2023 ID: IJCRTA000070 ISSN: 2583-1801
Email: ijcrta@gmail.com Website: www.ijcrta.org

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का बदलता स्वरूप – एक अवलोकन

डॉ. सुनीता गुप्ता*; डॉ. विनय कुमार कुशवाहा**

लेखक संलग्नता:
*सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र) भारत.
Email: sunita.historyjsn@gmail.com

**सहायक प्राध्यापक (इतिहास), शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना (म.प्र) भारत.
Email: itsvinay 2010@gmail.com

लेख संदर्भ: गुप्ता, सुनिता और कुशवाहा, विनय. (2023). International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA) ISSN: 2583-1801, 3(1), 24-28. ijcrta.org

सारांश:
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अंतिम उद्देश्य "भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति" बनाना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 1947 में आजादी के बाद से भारत में शिक्षा प्रणाली में यह तीसरा बड़ा बदलाव था। NEP 2020 से पहले 1968 और 1986 में शिक्षा प्रणाली में सुधार किया गया था। स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से निवेश बढ़ाएं और नवीन पहलों को लागू करें। यह सुनिश्चित करना कि कक्षा V और उससे आगे का प्रत्येक छात्र 2025 AD तक बुनियादी साक्षरता और प्रौद्योगिकी प्राप्त कर ले। 5+3+3+4 संरचना के आधार पर बौद्धिक विकास और सीखने के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र संरचना विकसित की गई है।

संकेत शब्द: नई शिक्षा नीती, साक्षरता, तकनिकी शिक्षा, बौद्धिक विकास, वैश्विक ज्ञान, इत्यादी.

"राष्ट्र को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा"
-श्री अतुल कोठारी जी,
राष्ट्रीय सचिव,शिक्षा संस्कृति व उत्थान न्यास.

प्रस्तावना:
किसी राष्ट्र के विकसित होने में शिक्षा की बड़ी भूमिका होती है।शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है।मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने एवं उसके संस्कारों का परिमार्जन करने में शिक्षा का बड़ा योगदान होता है।जीवन की समस्याओं का समाधान कर जीवन को आनंद प्रदान करती है शिक्षा।हमारे भारत देश में शिक्षा की परंपरा समृद्ध रही है। प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय रहे हैं योग्य शिक्षकों व भौतिक सुविधाओं से परिपूर्ण होने से दुनिया भर के छात्र यहां शिक्षा पाने की लालसा रखते थे।वे यहां अध्ययन करके जीवन की पूर्णता का अनुभव करते थे।भारत में होते लगातार बाहरी आक्रमणों से इसमें रुकावट आई, आक्रमणकारियों द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश भी की गई।इनमें से सर्वाधिक नुकसान अंग्रेजों द्वारा पहुंचाया गया।

2 फरवरी 1834 ई. को ब्रिटिश संसद में अपनी शिक्षा की नीति की वकालत करते हुए अपने भाषण में मैकाले ने कहा था – "भारत पर हम तभी लंबे समय तक शासन कर सकते हैं जब इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दें, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है"1 आज की भारतीय शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक काल की देन है।जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तब उन्होंने अपने औपनिवेशिक हितों की रक्षा के लिए इस शिक्षा प्रणाली को शुरू किया।तब की स्थिति में शिक्षा के उद्देश्य सीमित थे, आज हम स्वतंत्र देश हैं, लेकिन स्वतंत्रता के लगभग 75 (हीरक जयंती) वर्षों बाद भी हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली को स्वतंत्र देश की आशाओं और आकांक्षाओं से नहीं जोड़ सके। वास्तव में स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय शिक्षा वैश्विक व आंतरिक दबावों में रही है।

विश्वस्तर पर इंग्लैंड के अलावा अमेरिका भी नहीं चाहता था कि भारत अपनी स्वयं की ऐसी शिक्षा नीति बनाए जो राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव को बढ़ानेवाली हो। 1942 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इंग्लैंड के राजदूत को सलाह दी,"वह भारत को कब आजाद करे, ये उसका अपना विषय है पर वह भारत के साथ ऐसा व्यवहार करे जिससे भारत भविष्य में पश्चिमी छत्रछाया में बना रहे और यह तभी संभव था जब भारत औपनिवेशिक कालीन शिक्षा प्रणाली जारी रखे"। [2]

बीती सदी में भारतीय शिक्षाविदों द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था में पुनः सुधार के प्रयास हुए जिसके परिणामस्वरूप काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, शांतिनिकेतन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इसके माध्यम से देश के नवयुवकों में योग्य शिक्षा के साथ स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा भी जगाने का प्रयास किया गया।आजादी प्राप्त करने के बाद देश की जनता ने शिक्षा में पूर्ण बदलाव की इच्छा प्रकट की, जिसके तहत भारत सरकार ने भी भारतीय शिक्षा के विकास के लिए समय-समय पर आयोगो व समितियों के माध्यम से प्रयास किए।राधाकृष्णन आयोग (1948-49),कोठारी आयोग (1964), गजेंद्र गड़कर समिति(1971),राममूर्ति कमीशन (1990),राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005),यशपाल समिति (2008) इत्यादि के माध्यम से प्रयास हुए।किन्तु इन पर अमल करने का पक्ष कमजोर रहा। आजाद भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में। इनमें यथासंभव कुछ सुधारात्मक कदम भी उठाए गए लेकिन वह परिणाम नहीं आए जिनकी अपेक्षा आमजन ने की थी। आज 34 वर्ष पश्चात नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा हुई। [3]

नई शिक्षा नीति के उद्देश्य-

21वीं सदी की पहली व 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 34 वर्ष पहले की बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लेगी। इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुसार स्कूली व उच्चतर शिक्षा को अधिक समग्र एवंलचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज व ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नए भारत की अवधारणा को साकार करने के लिए है। नया भारत ज्ञानयुक्त, समृद्ध, संपन्न व समर्थ भारत होगा, जो आत्मविश्वास व आत्मगौरव की भावना से परिपूर्ण होगा।इस शिक्षा नीति की यह विशेषता है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता से युक्त शिक्षा उपलब्ध हो, तभी ज्ञान युक्त समाज बनेगा।नवीन शिक्षा नीति 2020 उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव व नए जोश के संचार के लिए उपयुक्त चुनौतियां को दूर करने के लिए कहती है। जिससे सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली समावेशी उच्च शिक्षा मिले। [4]

उच्च शिक्षा में होने वाले प्रमुख बदलाव-

नई शिक्षा नीति में 21वीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के व्यापक प्रावधान किए गए हैं।सार्थक व कौशलपूर्ण शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अधिक सक्षम व समर्थ बनाते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाएगी जिसके लिए उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्नवत बदलाव किए गए हैं -

(1) उच्चतर शिक्षा के ढांचे में बदलाव ला कर उच्चतर शिक्षा संस्थानों का बड़े एवं बहुविषयक विश्वविद्यालयों व संस्थानों में परिवर्तन होने से विद्यार्थियों को रूचि के अनुसार चयन करने की छूट प्राप्त होगी इन बड़े संस्थानों में अधिक संसाधन व योग्य बहुमुखी प्रतिभा शाली शिक्षकों की उपलब्धता से उन्हें विषयों का चयन करने के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। [5]

(2) तीन प्रकार से विश्वविद्यालयों को बांटा जाएगापहले प्रकार का विश्वविद्यालयकेवल शोध कार्य करेगे जिनमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान संचालित किये जाएंगे तथा आवश्यकतानुसार इन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। दुसरे प्रकार के विश्वविद्यालय मेंशोध के साथ शैक्षणिक कार्य भी किया जाएगा। शोध कार्य हेतु इन संस्थाओं में उपलब्ध प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाएगा तथा छात्रों को शोध हेतु छात्रवृत्ति की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।तीसरे प्रकार के विश्वविद्यालयडिग्री देने वाले संस्थान होंगे अर्थात महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय जिनके पास शोध के लिए समुचित साधन नहीं है उनका कार्य केवल शैक्षणिक कार्य करना होगा। [6]

(3) नई शिक्षा नीति में एक शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है वह है गुणवत्तापूर्ण। यह बड़ा आकर्षक शब्द है पर इसकी साधना बड़ी कठिन है।देश के सभी महाविद्यालयों को क्रमशः गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के केंद्रों के

रूप में विकसित किया जाएगा।इन संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने पर, स्वायत्त महाविद्यालयों के रूप में मान्यता दी जाएगी।यह महाविद्यालय स्थानीय संसाधनों तथा आवश्यकताओ को ध्यान में रखते हुए नए-नए पाठ्यक्रमों की रचना कर सकेंगे। [7]

(4) 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षण संस्थान (HEI) होगा, जिससेस्थानीय स्तर पर छात्रों को शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।इन सबका उद्देश्य सकल नामांकन अनुपात को 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है। [8]

(5) समग्र व बहुविषयक उच्च शिक्षण संस्थानों के बनने से छात्रों को अपने मनपसंद विषयों को चयन करने की स्वतंत्रता मिल सकेगी, उदाहरण के लिए रसायन विषय के साथ इतिहास या साहित्य या प्रबंध आदि विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता मिलेगी।इसी प्रकार विज्ञान, तकनीकी आदि के साथ कला व मानविकी शिक्षा का भी चुनाव किया जा सकेगा [9] (एक ही स्ट्रीम वाले उच्चतर शिक्षण संस्थान (HEI) में विभिन्न विषयों के संकायों को जोड़ा जाएगा जिससे वह मजबूत होंगे).

(6) 15 वर्षों के अंतराल में धीरे-धीरे संबद्ध (एफिलेटेड) कॉलेज प्रणाली समाप्त हो जाएगी, इनको स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।इन महाविद्यालयों को अकादमिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होगी यह सभी महाविद्यालय अपने नए-नए प्रयोगों के द्वारा अपने आप को अधिक समाज उपयोगी बना सकेंगे. [10]

(7) छात्रों के पास अभी तक बहुत कम विकल्प थे।यदि पारिवारिक आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वह पढ़ाई बीच में छोड़ देता था, तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था। वह समय उसका एक प्रकार से व्यर्थ ही चला जाता था। नई शिक्षा नीति से होने वाले परिवर्तन के कारण अब ऐसा नहीं होगा।एक और विशेष बात ये है कि कोई छात्र चाहे तो 1 वर्ष की पढ़ाई कर यदि दूसरा कोई अन्य कोर्स करना चाहे तो जाकर कर सकता है व समाप्त होने के पश्चात पुनः अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है।

(8) डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में भी बदलाव किया गया है- स्नातक की उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी जिसमें 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा, 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्राप्त होगी तथा 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, के बाद उसे 4 वर्षीय स्नातक उपाधि प्रदान की जाएगी. [11]

(9) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 3 साल का कार्यक्रम पूरा किया हो उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते है जो पूरी तरह शोध केंद्रित हो।वह विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया हो उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है और 5 वर्षों का एकीकृत स्नातक/स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है।पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर की डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एम. फिल. कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा. [12]

(10) छात्र एक समय पर कुछ विषय अपनी सुविधा, समय तथा आवश्यकतानुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन (प्रत्यक्ष कक्षा) पढ़ सकेगा।

(11) एक अकादमी क्रेडिट बैंक (ABC) स्थापित किया जाएगा जो अलग-अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों से प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा डिग्री दी जा सके 13 इस तरह हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को अपने भविष्य निर्माण करने संबंधी महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात की गई है.

शिक्षकों का दायित्व-

शिक्षक एक कुम्हार की तरह होता है, जिसके द्वारा समाज एवं राष्ट्र के भावी कर्णधारो को बनाया जाता है। यह सर्विदित है कि “सांचे ही तो सांचो को गढ़ते हैं, जीवन से ही जीवन बदलते हैं, जलते हुए दिए ही दूसरे दीपो को जलाते हैं”। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्राचीन शिक्षा परंपरा में महर्षियों और उनके छात्रों की जानकारी मिलती है, गुरु और शिष्य मिलकर लोकजीवन को उन्नत करने का प्रयास करते थे।अगस्त्य, कन्व, जाबाली,

परशुराम, वाल्मीकी, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, शौनक, संदीपनी, कौटिल्य (चाणक्य) आदि ऋषियों के नाम इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। 14 वर्तमान समय में गुरु अर्थात शिक्षकों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। शिक्षकों का मान सम्मान एवं महत्त्व निरंतर घटता जा रहा है। हम जब कभी छोटे बच्चे या छात्रों से पूछते हैं कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? सामान्यतया बच्चों के उत्तर होते हैं वह बड़े होकर आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर,सी ए, वकील या खिलाड़ी बनना चाहते हैं। आज कोई भी बच्चा शिक्षक बनने की इच्छा व्यक्त नहीं करता।बच्चों के अभिभावकों के विचार भी ऐसे ही होते हैं वह भी अपने बच्चो/संतानों को शिक्षक नहीं बनाना चाहते हैं।

आजकल शिक्षकों को रोजनदारी से रखा जाने लगा है। इतना ही नहीं उन्हें प्रति पीरियड के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। शिक्षकों के नए-नए पद नाम जैसे संविदाकर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, अस्थायी शिक्षक, अतिथि विद्वान, शिक्षामित्र आदि नाम रख दिया गए हैं।शिक्षकों का इस सीमा तक अवमूल्यन एवं अवमानना होना बहुत ही विडंबनापूर्ण है। शिक्षकों की भर्ती, पदस्थापना, सेवाशर्तों एवं शिक्षकों के अधिकारों की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए।शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा एवं उनके प्रति आदर एवं सम्मान के भाव को पुनर्जीवित करना आवश्यक होगा ताकि शिक्षण कार्य में श्रेष्ठतर लोगों को शामिल करने हेतु उन्हें प्रेरित किया जा सके।

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षण वास्तव में बच्चे के भविष्य को आकार देते हैं। अतः वे हमारे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करते हैं। इस योगदान के कारण ही भारत में शिक्षक समाज के सबसे सम्मानित सदस्य थे और सिर्फ सबसे अच्छे और विद्वान व्यक्ति ही शिक्षक बनते थे विद्यार्थियों को निर्धारित ज्ञान, कौशल और नैतिक मूल्य प्रदान करने के लिए समाज, शिक्षक और गुरुओं को उनकी जरूरत की सभी चीजें प्रदान करता था।आज अध्यापक, शिक्षा की गुणवत्ता, भर्ती, पदस्थापना, सेवाशर्तें और शिक्षकों के अधिकारों की वैसी स्थिति नहीं है, जैसी होनी चाहिए परिणामस्वरूप शिक्षकों की गुणवत्ता और उत्साह अब वांछित मानकों को प्राप्त नहीं करता है।वस्तुतः उच्च शिक्षा का सारा दारोमदार शिक्षकों की भूमिका अथवा योग्यता पर निर्भर करता है।

वैश्वीकरण की ओर उच्च शिक्षा-

वर्तमान वैश्विक प्रतियोगिता के इस दौर में आज दुनिया के शिक्षण संस्थानों में वैश्विक पहचान बनाने की होड़ लगी है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की विभिन्न पहलो (इनिटिएटीव) से भारत में पढ़ने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे अवसर दिलाएगी जो विदेश के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरण करने या इसके बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं।और यही सुविधाविदेशी छात्रों के लिए भारत में भी उपलब्ध होगी। अंतरराष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतरराष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जाएगा। इस नीति में उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुगम, लचीला और गतिशील बनाने पर बल दिया गया है।संस्थानों के विनियमन, मान्यता, शैक्षणिक मानदंडों, संस्थानों के मूल्यांकन, वित्तपोषण आदि सबके लिए अलग-अलग संस्थाओं के निर्धारण से आपसी टकराव की संभावना समाप्त होगी व कार्य करने की गति में वृद्धि होगी।

शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु मौलिक सुझाव-:

1. राजनीतिज्ञों को यथा संभव दूर रखा जाये।
2. पुस्तक लेखन या अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों में सम्बंधित अनुभवी एवं ईमानदार शिक्षक की अनिवार्यता हो ।
3. गरीब छात्रों एवं खिलाडियों को वास्तविक सहयोग एवं सुविधाए उपलब्ध करना भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए ।

निष्कर्ष-

शिक्षा में किसी देश की नींव होती है, अभी तक नीव कमजोर थी और उस पर हम भव्य इमारत बनाना चाहते थे जो संभव नहीं हो पा रहा था।परंतु अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं उसे एक अति महत्वपूर्ण कदम कहा जाएगा।इसकी अवधारणा भारतीय शिक्षा के गौरवपूर्ण इतिहास को पुनः लौटाने के दृढ़ संकल्प पर आधारित है। इसके माध्यम से भारत की शिक्षा में भारतीयता और विश्व नागरिकता का सही अर्थ में प्रादुर्भाव होगा।उच्च शिक्षा के श्रेष्ठतम संयोजन हेतु निर्धारित नियामको का तार्किक मूल्यांकन एवं विश्लेषण अपरिहार्य है।इससे बेरोजगारी में कमी आएगी व छात्र स्वरोजगार की तरफ बड़ी संख्या में जा सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का भाव विकसित होने के साथ गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। छात्रों में विश्वास जगेगा, इसमें

देश के नवयुवकों को चरित्रवान एवं आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है। इसमें सुधारात्मक कार्यों के लक्ष्य निर्धारित कर इन्हें प्राप्त करने के समयबद्ध कार्यक्रमों के भी प्रावधान किए गए हैं ताकि इसके माध्यम से भारत पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अपना कदम बढ़ा सकें।आशा है कि हम सभी इस शिक्षा नीति के द्वारा उच्च शिक्षा के व्यवस्थित, गुणवत्तायुक्त बदले स्वरूप का क्रियान्वयन सही तरीके से करके नए भारत की आकांक्षाओं को साकार कर पाएंगे व एक ज्ञान युक्त समाज बना पाएंगे।

संन्दर्भ ग्रन्थ सूची-:

1. https://shabd.in/post/45611/patra-hindi-samachar
2. रचना, जनवरी-फरवरी 2021, म.प्र.हि.ग्रन्थ अका. पृ 44
3. वही. पृ 68
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 9.3 पृ 53
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10.2 पृ 54
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10.3 पृ 55
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10.5 पृ 55
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा के विभिन्न आयाम (2021) जे.टी.एस.पब्लिकेशन,दिल्ली पृ 34
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10.11 पृ 57
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 10.12 पृ 57
11. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर 2020,पृ 58
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 11.10 पृ 60
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, 11.9 पृ 60
14. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पैरा 5.67